

# उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय, लखनऊ

परिपत्र सं० स्त्री० १५ /ग्रे०सेल एवं बीमा/2018-19

दिनांक ०६-०२ .19

समस्त शाखा प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबंधक  
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०  
उत्तर प्रदेश ।

विषय- सामूहिक बीमा एवं सामूहिक पेंशन योजना की प्रीमियम कटौती के सम्बंध में।

बैंक में कार्यरत समस्त नवनियुक्त कर्मियों का रिस्क कवर किये जाने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से सामूहिक बीमा एवं सामूहिक पेंशन योजना लागू की गयी है, जिसके लिये बैंक में दिनांक 01.09.13 के उपरान्त योगदान देने वाले समस्त नवनियुक्त कर्मियों के वेतन से रू० 100.00 की दर से प्रीमियम की धनराशि की कटौती प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से की जानी है, जिसके निर्देश पूर्व में भी दिये जा चुके हैं तथा पुराने कर्मियों जिनकी इस योजना में कटौती हो रही है वह यथावत् चलती रहेगी।

अतः उक्तानुसार सम्बंधित कर्मियों के मासिक वेतन से प्रीमियम की धनराशि की कटौती कर, कटौती का विवरण संलग्न प्रारूप "Kruti Dev 010" font size (M S EXCEL) पर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रधान कार्यालय के ग्रेच्युटी अनुभाग को हार्ड कापी में तथा ई-मेल [gratuity.upsgvb@yahoo.in](mailto:gratuity.upsgvb@yahoo.in) पर साफ्ट कापी में दोनों प्रकार से प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की दशा में उसका सम्पूर्ण उत्तरायित्व सम्बंधित शाखा प्रबंधक एवं शाखा आंकिक का होगा।

नोट- फांट एवं फांट साईज का ध्यान विशेष रूप से रखा जाये।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

(के०पी० सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 समस्त अधिकारी/मण्डल पर्यवेक्षक उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
- 2 प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
- 3 उप महाप्रबंधक (आई०टी०सेल) उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को उपरोक्त परिपत्र समस्त शाखाओं को ई मेल करने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक

